

इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ**अनुच्छेद 227 के तहत मामले संख्या- 787 वर्ष 2026**

गयासुद्दीन एवं 7 अन्य

..... याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

श्री दिगंबर जैन मंदिर सीतापुर, अध्यक्ष धर्म कुमार जैन के द्वारा एवं एक अन्य

.....विपक्षी(ओं)

याचिकाकर्ता(ओं) के अधिवक्ता : आशीष चतुर्वेदी, अमिताभ बनर्जी, पीयूष कुमार अग्रवाल

प्रतिवादी(ओं) के अधिवक्ता : वीरेंद्र नारायण शुक्ल, रजनीश कुमार वर्मा

न्यायालय संख्या – 5**माननीय न्यायमूर्ति आलोक माथुर**

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री पीयूष कुमार अग्रवाल और प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता श्री वीरेंद्र नारायण शुक्ला को सुना गया।
2. प्रस्तावित आदेश के आलोक में, प्रतिवादी संख्या 2 को नोटिस देने से छूट दी जाती है।
3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि वर्तमान मामले में विवाद उत्तर प्रदेश शहरी भवन (किराए पर देने, किराए पर देने और बेदखली का विनियमन) अधिनियम, 1972 की धारा 21(1)(क) के तहत एक आवेदन दायर करके प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा शुरू किया गया था, जिसके तहत आरोप लगाया गया है कि वह गाटा संख्या 103 पर स्थित संपत्ति का मालिक है, जिसे प्रतिवादी राम किलावन को रुपये 100/ प्रति माह के किराए पर दिया गया था।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

4. यह कहा गया है कि विवादित संपत्ति पर एक जैन मंदिर मौजूद है जिसके भीतर एक कमरा किराए पर दिया गया था ताकि किरायेदार मंदिर की देखभाल कर सके लेकिन उसने याचिकाकर्ताओं के हित में पूर्ववर्ती शब्बीर को संपत्ति किराए पर दे दी थी।
5. सिविल जज (सीनियर डिविजन), सीतापुर के समक्ष शुरू की गई मुकदमे की कार्यवाही में, नोटिस जारी किए गए थे लेकिन प्रतिवादी उपस्थित नहीं हुआ और तदनुसार दिनांक 30.08.2000 के एकपक्षीय आदेश के माध्यम से मुकदमे की अनुमति दी गई और बेदखली के आदेश पारित किए गए।
6. याचिकाकर्ताओं ने आदेश दिनांक 30.08.2000 को वापस लेने के लिए एक आवेदन दायर किया था। आदेश वापस के लिए आवेदन में, यह कहा गया था कि वादी (प्रतिवादी संख्या 1) संपत्ति का मालिक नहीं था और न ही शब्बीर (याचिकाकर्ताओं के हित में पूर्ववर्ती, किरायेदार) था और उपरोक्त के अलावा, मंदिर की संपत्ति को 1972 के अधिनियम के तहत कार्यवाही से छूट दी गई थी और तदनुसार उपरोक्त कारणों से, मुकदमा चलने योग्य नहीं था और इसलिए खारिज किए जाने योग्य था और परिणामस्वरूप आदेश वापस लेने के लिए उसके आवेदन की अनुमति देने के लिए प्रार्थना की गई थी।
7. विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए आधारों पर विधिवत विचार किया और निष्कर्ष निकाला कि सबसे पहले याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई संपत्ति का विवरण बेदखली के मुकदमे में उल्लिखित वाद संपत्तियों से अलग और भिन्न था। इसके अलावा यह भी कहा गया कि बेदखली का मुकदमा न केवल मंदिर ट्रस्ट द्वारा, बल्कि ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा भी दायर किया गया था, जो ट्रस्ट से अलग और भिन्न व्यक्ति था और इन परिस्थितियों में, बेदखली का मुकदमा ट्रस्टी के आदेश पर चलने योग्य था और तदनुसार आदेश वापस लेने के आवेदन में योग्यता नहीं पाई गई, जिसे खारिज कर दिया गया।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

8. इस स्तर पर, प्रतिवादी संख्या 1 के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय को सूचित किया है कि निष्पादन की कार्यवाही भी समाप्त हो गई है और जो व्यक्ति उक्त परिसर पर कब्जा कर रहे हैं, उन्हें बेदखल कर दिया गया है, जो तथ्य आज दायर किए गए हलफनामे के साथ याचिकाकर्ता द्वारा दायर आदेशों से पुष्ट होता है।
9. आज दाखिल शपथ पत्र में अमीन की आख्या के साथ निष्पादन की प्रति संलग्न करते हुए कहा गया है कि आदेश दिनांक 30.08.2000 का निष्पादन कर दिया गया है।
10. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि मुकदमे की संपत्ति के संबंध में आदेश के निष्पादन की आड़ में याचिकाकर्ताओं को अलग-अलग परिसर से बेदखल कर दिया गया है और निष्पादन कार्यवाही में इस तरह की कवायद अवैध और मनमानी है।
11. याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों पर विचार करते हुए, इस न्यायालय का विचार है कि यह आधार जो वर्तमान रिट याचिका में उठाया गया है, याचिकाकर्ताओं द्वारा आदेश वापस लेने के लिए आवेदन में उठाया गया है और एक ठोस निष्कर्ष देकर खारिज कर दिया गया है कि मुकदमे की कार्यवाही याचिकाकर्ताओं द्वारा आदेश वापस लेने के लिए उनके आवेदन में उल्लिखित संपत्ति से भिन्न और अलग है। ऐसी कोई सामग्री नहीं है जो याचिकाकर्ताओं द्वारा निचली अदालतों के समक्ष या इस न्यायालय के समक्ष कार्यवाही में दायर की गई हो जो याचिकाकर्ताओं के दावे को प्रमाणित कर सके ताकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत शक्तियों के प्रयोग में हस्तक्षेप किया जा सके। ऐसी कोई सामग्री पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है या निष्पादन की कार्यवाही पर इस आशय का संदेह है कि याचिकाकर्ताओं को अलग संपत्ति से बेदखल कर दिया गया है जो अलग संपत्ति का किराया नहीं था और मुकदमा कार्यवाही की विषय वस्तु थी।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

12. तदनुसार, वर्तमान रिट याचिका में दिए गए आदेशों में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। रिट याचिका में कोई दम नहीं है और इसलिए इसे **खारिज** किया जाता है।
13. हालाँकि, यदि याचिकाकर्तागण कथित संपत्तियों के स्वामित्व के संबंध में घोषणा चाहते हैं, जिसके मालिक होने का वे दावा करते हैं, तो उनके लिए इस संबंध में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले सिविल न्यायालय में उचित नियमित कार्यवाही करना हमेशा खुला रहेगा।

मार्च 25, 2026

रवि/-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।